कार्यालय प्रभारी अधिकारी, भंडार क्रय

पत्रांक: भंकका/ 37
दिनांक ~~अप्रैल~~ मई 01, 2012

कार्यालय आदेश

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/इकाई प्रभारी (वाह्य परिसर सहित)

कुछ विभागों में भण्डार प्रविष्टि पंजिका के निरीक्षण से यह बात प्रकाश में आयी है कि भंडार प्रविष्टियॉ सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं तथा कतिपय प्रकरणों में मॉग पत्र उपलब्ध न होने की दशा में भी भण्डारों से सामग्री निर्गत कर दी जाती है । ऐसी स्थिति में भण्डार संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा चार्ज देने/कर्मचारी/शिक्षकों आदि को अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कठिनाईयों के साथ साथ देयको के भुगतान में भी अप्रत्याशित विलम्ब होता है ।

उपरोक्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न आदेश निर्गत करने की स्वीकति प्रदान की गयी है :

1. केन्द्रीय भंडार/संबंधित विभागों के भण्डार द्वारा क्रयीत सामग्री सीधे भण्डार में उपलब्ध करायी जाये ।

2. नियमानुसार तकनीकी सत्यापन के उपरांत आवर्तक एवं अनावर्तक मद की वस्तुओं / उपकरणों की प्रविष्टि संबंधित पंजिकाओं में अलग–अलग की जाये ।

3. भंडार पंजिकाओं में प्रविष्टि करते समय प्राप्ति का दिनांक, क्रय आदेश संख्या एवं तिथि, बिल/कैशमेमो संख्या, तिथि एवं मूल्य का उल्लेख करने के साथ साथ फर्म का नाम व पता एवं "टिन नं0" भी अवश्य इंगित करें । क्रयीत सामग्री का मेक /माडल नं0 तथा क्रमांक अंकित करना भी सुनिश्चित करें। यदि कोई ऐसी सामग्री है जो बिना मूल्य के (free of cost) / दान अथवा उपहार स्वरूप विभाग को प्राप्त हुयी है तो उसकी अनुमानित अथवा वास्तविक लागत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कर अंकित की जाये ।

4. संबंधित उपकरण की मरम्मत, ए0एम0सी0 आदि की प्रविष्टि उपकरण के साथ ही की जाये अथवा संदर्भित की जाये ।

5. उपरोक्त प्रक्रियाओं के उपरांत ***(विशेष परिस्थितियों / तत्काल आवश्यकता को छोड़ते हुये)*** विभागों के मॉग पत्र के आधार पर ही सामग्री निर्गत की जाये ।

6. कर्मचारियों/शिक्षकों को अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने की सुविधा के लिये विभागों में व्यक्तिवार अनावर्तक सामग्री की सूचि/पंजिका बनाई जाये ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगें ।

30.4.12
(एन0के0 सण्ड)
प्रभारी अधिकारी भण्डार क्रय

प्रतिलिपि:

1. सहायक भण्डार क्रय अधिकारी, केन्द्रीय भंडार को भंडार संवर्ग के सूचनार्थ ।
2. मुख्य महाप्रबंधक (फार्म)
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ ।
4. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति जी के सूचनार्थ ।